



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 295 राँची, बुधवार,
1 ज्येष्ठ, 1946 (श०)
22 मई, 2024 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

संकल्प

15 मार्च, 2024

संख्या-05/बी०ए०यू०-26/2020-735-

विषय:- बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची को कृषि विज्ञान केन्द्र, सुजानी, देवघर की कुल भूमि 43.87 एकड़ निःशुल्क हस्तांतरित करने हेतु स्वीकृति के संबंध में ।

- कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची के पत्रांक-20/सी० दिनांक-19.11.2020 के द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र, सुजानी, देवघर को अपने कर्मियों आदि के साथ बी०ए०यू० में हस्तांतरण करने का अनुरोध किया गया ।
- कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची के पत्रांक-113/सी० दिनांक-29.09.2021 के द्वारा सूचित किया गया है कि भारतीय कृषि अनुशंधान परिषद (ICAR) कृषि विज्ञान केन्द्र, सुजानी, देवघर के वित्तीय पोषण हेतु सहमति इस शर्त के साथ दी गयी है कि कृषि विज्ञान केन्द्र, सुजानी, देवघर को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची को हस्तांतरित करते हुए उसके नाम से दाखिल खारिज किया जाय ।

3. एल०ए० वाद सं०-10/2011-12 के माध्यम से देवघर अंचल के मौजा-गोविंदपूर, बघोड़ी एवं राकुडीह थाना सं०-127 के अंतर्गत रकवा-20.53 एकड़ अधिग्रहण किया गया है। साथ ही, पूर्व में एल०ए० वाद सं०-09/1940-41 के माध्यम से रकवा-23.34 एकड़ अधिग्रहित किया गया था। इस प्रकार कुल रकवा-43.87 एकड़ भूमि को अधिग्रहण किया गया है।

अंचल अधिकारी, देवघर के प्रतिवेदनानुसार उक्त भूमि का नामांतरण वाद सं० 703/2018-19 एवं 04/2018-19 द्वारा उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, सुजानी, देवघर के नाम से किया गया है।

4. पूर्व में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, देवघर के पत्रांक-153 दिनांक-11.02.2022 के द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र, सुजानी, देवघर की कुल भूमि 43.12 एकड़ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची को हस्तांतरण हेतु विवरणी उपलब्ध करायी गयी थी। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, देवघर से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची को कृषि विज्ञान केन्द्र, सुजानी, देवघर की हस्तांतरित की जाने वाली भूमि की विस्तृत विवरणी नक्शा सहित की मांग की गयी, जिसके आलोक में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, देवघर के पत्रांक-889/रा०, देवघर दिनांक-27.05.2023 के द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र, सुजानी, देवघर की कुल भूमि 43.87 एकड़ मौजा थाना नं०, खाता नं०, प्लॉट नं० एवं रकवा की विवरणी नक्शा सहित (अनु०-1) उपलब्ध करायी गयी है, जिसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची को निःशुल्क हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

भूमि की विवरणी

अंचल का नाम	ग्राम का नाम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा (एकड़ में)	किस्म
देवघर	बघोड़ी	127	35	14	1.99	एल०ए०
	बघोड़ी	127	15	15	1.12	एल०ए०
	बघोड़ी	127	15	16	0.42	एल०ए०
	बघोड़ी	127	22	17	0.75	एल०ए०
	बघोड़ी	127	27/ क	18	1.89	एल०ए०
	बघोड़ी	127	18	19	0.78	एल०ए०
	बघोड़ी	127	6	20	0.22	एल०ए०
	बघोड़ी	127	6	21	0.30	एल०ए०
	बघोड़ी	127	31	22	2.49	एल०ए०
	बघोड़ी	127	10	23	0.31	एल०ए०
	बघोड़ी	127	35	43	1.93	एल०ए०
	बघोड़ी	127	19	47	0.30	एल०ए०
	बघोड़ी	127	3	48	0.13	एल०ए०
	बघोड़ी	127	19	49	0.15	एल०ए०
	बघोड़ी	127	3	50	0.17	एल०ए०
	बघोड़ी	127	3	51	0.19	एल०ए०
	बघोड़ी	127	19	53	0.10	एल०ए०

देवघर	बघोड़ी	127	3	54	0.10	एल०ए०
	बघोड़ी	127	3	55	0.20	एल०ए०
	बघोड़ी	127	3	56	0.68	एल०ए०
	बघोड़ी	127	19	57	0.71	एल०ए०
	बघोड़ी	127	19	58	0.32	एल०ए०
	बघोड़ी	127	3	59	0.28	एल०ए०
	बघोड़ी	127	3	60	0.51	एल०ए०
	बघोड़ी	127	19	61	0.60	एल०ए०
	बघोड़ी	127	28	62	1.07	एल०ए०
	बघोड़ी	127	5	63	0.59	एल०ए०
	बघोड़ी	127	3	64	0.55	एल०ए०
	बघोड़ी	127	19	65	0.21	एल०ए०
	बघोड़ी	127	21	66	1.08	एल०ए०
	बघोड़ी	127	14	19/473	0.39	एल०ए०
	गोविन्दपुर	126	8	2	1.76	एल०ए०
	गोविन्दपुर	126	24	3	0.15	एल०ए०
	बघोड़ी	127	32	1	0.43	एल०ए०
	बघोड़ी	127	31	09	0.45	एल०ए०
	बघोड़ी	127	23	02	1.76	एल०ए०
	बघोड़ी	127	23	3	0.77	एल०ए०
	बघोड़ी	127	23	4	2.18	एल०ए०
	बघोड़ी	127	23	7	1.20	एल०ए०
	बघोड़ी	127	21	08	1.49	एल०ए०
	बघोड़ी	127	06	10	0.38	एल०ए०

	बघोड़ी	127	27/ क	11	0.42	एल०ए०
	बघोड़ी	127	38	05	0.83	एल०ए०
	बघोड़ी	127	38	06	3.03	एल०ए०
	बघोड़ी	127	38	12	6.27	एल०ए०
	रकुडीह	128	11	01	0.40	एल०ए०
	रकुडीह	128	38	02	1.27	एल०ए०
	रकुडीह	128	37	03	0.55	एल०ए०
	कुल रकवा				43.87	

5. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची को कृषि विज्ञान केन्द्र, सुजानी, देवघर की कुल भूमि 43.87 एकड़ निःशुल्क हस्तांतरित करने हेतु स्वीकृति के संबंध में संलेख ज्ञापांक-524 दिनांक-23.02.2024 सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-06.03.2024 में मद सं0-03 के रूप में सम्मिलित करते हुए स्वीकृत किया गया है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

अबुबक्कर सिद्दीख पी०,
सरकार के सचिव।
